



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 257 राँची, सोमवार,

9 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

19 मई, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-166/2014 का०- 2871--श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-67/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध पुलिस उपाधीक्षक-सह-थाना प्रभारी, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के जापांक-6753, दिनांक 08.06.2013 एवं उपायुक्त, पलामू के जापांक-342, दिनांक 11.06.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सत्येन्द्र पासवान, विश्रामपुर से इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए 48,500/- का भुगतान करने हेतु 2,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक 07.06.2013 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए निगरानी थाना कांड सं०-26/13, दिनांक 06.06.2013 दर्ज है ।

निगरानी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-6145, दिनांक 06.07.2013 द्वारा श्री कुमार को दिनांक 07.06.2013 के प्रभाव से हिरासत की पूरी अवधि के लिए निलंबित किया गया। हिरासत से मुक्त होने के उपरांत विभागीय आदेश सं०-11147, दिनांक 20.11.2013 द्वारा श्री कुमार को पुनः निलंबित किया गया तथा आदेश सं०-3251, दिनांक 04.04.2014 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के आवेदन, दिनांक 24.07.2024 द्वारा Vigilance Case No. 27 of 2013 (Arising out of Vigilance P.S. Case no. 26/2013) में श्री अमरेश कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। उक्त आदेश में लगाये गये आरोप से पूर्णरूप से मुक्तबरी कर दिया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश एवं संबंधित मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-27267(HRMS), दिनांक 13.01.2025 द्वारा श्री कुमार को इस मामले में आरोप मुक्त किया गया।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 24.03.2025 द्वारा उनके कारावास एवं निलंबन अवधि दिनांक 07.06.2013 से 04.04.2014 को विनियमित करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चूँकि, जिन आरोपों में श्री कुमार को निलंबित किया गया था, उन आरोपों से निगरानी न्यायालय द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के निलंबन अवधि दिनांक 07.06.2013 से 04.04.2014 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
